राजस्व अपील संख्या 63/2022
अनवान
भरतकुमार बनाम सरकार वगैरा

दिनांकः— 4—4—2022

उक्त द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 41/2021 अनवान भरतकुमार बनाम राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार रेवदर एवं अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 7 मार्च 2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गयाा है । उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जायें ।

वकील अपीलांट उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, इसलिए अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया गया है । इसके अलावा यह भी कथन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत की भूमि पर बतौर किरायेदार अपना केबिन वर्ष 1988 से चलाते हुए व्यवसाय कर रहा है, अपीलांट ने कोई नया कब्जा नही किया है तथा अपीलांट ने ग्राम पंचायत सिरोडी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर किरायेसुदा भूमि मे विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा अपीलांट के पक्ष मे खाद्य पदार्थ विक्रय का अनुज्ञा पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सिरोही द्वारा जारी किया हुआ है । वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग रेवदर की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण मानकर निर्णय पारित कर दिया जबकि अपील मे वर्णित विवादित भूमि न तो राजस्व भूमि है और न ही राजस्व रेकर्ड मे सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है बल्कि अपीलाधीन विवादित भूमि ग्राम पंचायत सिरोडी की आबादी भूमि है जिसका किराया अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत सिरोडी को भुगतान किया जा रहा है जिसकी रसीदे अपीलांट अधिवक्ता ने बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत की तथा फार्म नंबर 3 के सलंग्न अन्य दस्तावेजात भी प्रस्तुत करते हुए अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित करने एव विकल्प मे प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का अवसर देकर बाद जांच पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का भी निवेदन किया ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश का अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया । जिसके आधार पर प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे इस आशय के अतिरिक्त निर्देश पारित किये जाते है कि वे अपीलांट को नोटिस देकर, उसे सुनवाई का समुचित अवसर देकर अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट द्वारा चलाये जा रहे केबिन की भूमि के संबंध मे पुनः मौका निरीक्षण करवाकर एक माह की समयावधि मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे तब तक अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 7—3—2022 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित रखा जाता है । इस अतिरिक्त निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

4/4/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर